

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette
सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09102025-266805
SG-DL-E-09102025-266805असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43]	दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 6, 2025/आश्विन 14, 1947	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 267
No. 43]	DELHI, MONDAY, OCTOBER 6, 2025/ASVINA 14, 1947	[N. C. T. D. No. 267

भाग II—I
PART II—Iराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIदिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली
अधिसूचना
दिल्ली, 27 सितम्बर, 2025

सं. 78/ नियम/डीएचसी.—दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम 26) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 122 और 129 तथा इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय, एतद्वारा उच्च न्यायालय नियम और आदेश, खंड V के अध्याय 3 के भाग ख के नियम 1 और 3 और अध्याय 4 के भाग च (क) के नियम 3 में निम्नलिखित संशोधन करता है: -

खंड V के अध्याय 3 के भाग ख में:-

- नियम 1 के परन्तुक के खण्ड (क) में दो बार आने वाले अक्षर और कोष्ठक "(xx)" को "(xxi)" अक्षर और कोष्ठक से प्रतिस्थापित किया जाए और;
- नियम 3(i) में, "खंड के" और "नियम 1 के" शब्दों के बीच आने वाले अक्षर और कोष्ठक "(xix)" को अक्षर और कोष्ठक "(xx)" से प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड V के अध्याय 4 के भाग च(क) में:-

1. नियम 3 में, "खंड में" और "नियम 1 के" शब्दों के बीच आने वाले अक्षर और कोष्ठक "(xx)" को "(xxi)" अक्षर और कोष्ठक से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

नोट: ये संशोधन राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

न्यायालय के आदेशानुसार
अरुण भारद्वाज, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI**NOTIFICATION**

Delhi, the 27th September, 2025

No. 78/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966) read with Sections 122 and 129 of the Code of Civil Procedure, 1908 and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, hereby makes the following amendments to Rule 1 and 3 of Part B of Chapter 3 and Rule 3 of Part F(a) of Chapter 4 of the High Court Rules & Orders, Volume V:-

In Part B of Chapter 3 of Volume V :-

1. In clause (a) of proviso of Rule 1 the alphabets and brackets "(xx)" appearing twice may be replaced with the following alphabets and brackets "(xxi)" and;
2. In Rule 3(i), the alphabets and brackets "(xix)" appearing between the words "of clause" and "of Rule 1" may be replaced with the alphabets and brackets "(xx)".

In Part F(a) of Chapter 4 of Volume V :-

1. In Rule 3, the alphabets and brackets "(xx)" appearing between the words "in clause" and "of Rule 1" may be replaced with the alphabets and brackets "(xxi)".

NOTE: THESE AMENDMENTS SHALL COME INTO FORCE FROM THE DATE OF THEIR PUBLICATION IN THE GAZETTE.

By Order of the Court,
ARUN BHARDWAJ, Registrar General